चोरी करने का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना खोड़ारे पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर चोरी करने के वांछित अभियुक्त-दीपक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त थाना खोड़ारे में पंजीकृत मु0अ0सं0- 293/20, धारा 379,411 भादवि व मु0अ0सं0-294/20, धारा 380,457,411 भादवि में वांछित चल रहा था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दीपक पुत्र चंद्रभान नि0 खपड़हवा खम्हरिया थाना खोड़ारे जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 160/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिंदा कारतूस

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्र0नि0 खोड़ारे सुरेश कुमार वर्मा मय टीम।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त राकेश प्रताप को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में आर्म्स

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राकेश प्रताप सिंह पुत्र गजराज सिंह नि0 ग्राम मंझगवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-341/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ0नि बलई यादव मय टीम।

थाना को0 नगर का टाप-10 अपराधी अपने साथी अभियुक्त के साथ गिरफ्तार, 01 अदद सफारी गाड़ी, 2 अदद बंदूक व 09 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानध्यक्ष को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगो में भौकाल दिखाने के उद्देश्य से अवैध लाइंसेंसी बंदूको को लेकर सफारी गाड़ी में घूमते समय 02 आरोपी अभियुक्तों-प्रिंस शुक्ला व धवल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त प्रिंस शुक्ला थाना को0 नगर का टाप-10 अपराधी है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 01. प्रिंस शुक्ला पुत्र स्व0 सत्य राम शुक्ला नि0 गंगापुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
- 02. धवल तिवारी पुत्र गनपत तिवारी नि0 हरहरा गुलरिहा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-615/22, धारा 3/25/30 आर्म्स ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

- 01. 01 अदद सफारी गाड़ी।
- 02. 01 अदद बंदूक एस0 बी0बी0एल0।
- 03. 01 अदद बंदूक डी0बी0एल0।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

प्र0नि0 को0 नगर पंकज कुमार सिंह मय टीम।

पेट्रोल टंकी पर टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्त 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार, चोरी गयी राशि 17000/- के साथ-साथ 02 अदद तमंचा व कारतूस, नशीली गोलिया व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद-

दिनांक 09.09.2022 को थाना इटियाथोक क्षेत्र के अन्तर्गत पेट्रोल टंकी पर 02 टप्पेबाजों द्वारा एक युवक की मोटरसाईकिल की डिग्गी तोडकर 20000/- लेकर फरार हो गए थे। सूचना पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा घटना के तत्काल अनावरण हेतु टीमे गठित कर प्र0नि0 इटियाथोक को निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के पर्यवेक्षण में 02 टप्पेबाज अभियुक्तों को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्तगणों के कब्जे से 17000/- रूपये व 02 अदद अवैध तमंचा मय कारतूस व नाशीली गोलिया बरामद हुई। उक्त अभियुक्तगणों ने दिनांक 09.08.2022 को थाना इटियाथोक क्षेत्र के मध्यनगर के एक घर में भी चारी की थी। जिसके सम्बन्ध में थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

नाम व पता अभियुक्त-

01. देवराज पुत्र जगदीश सिंह निवासी रामगढवा मौजा दुल्हापुर थाना धानेपुर जनपद गोंडा 02. रिंकू सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह निवासी रामगढवा मौजा दुल्लापुर थाना धानेपुर जनपद गोंडा

पंजीकृत अभियोग-

- 01. मु0अ0सं0 358/22 धारा 379.411 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
- 02. मु0अ0सं0-361/22, धारा ८/22 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
- 03. मु0अ0सं0-362/22, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
- 04. 02. मु0अ0सं0-363/22, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
- 03. मु0अ0सं0-364/22, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-278/22 धारा 457.380.411 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

अभियुक्त देवराज के कब्जे से

- 01. मु0अ0सं0 358/22 धारा 379.411 भादवि से संबंधित 9000/- रुपए
- 02. मु0अ0सं0 278/22 धारा 457.380.411 भादवि से संबंधित 2000/- रुपए
- 03. 270 गोली अल्प्रासेफ 0.5 एमजी
- 04. एक अदद तमंचा व कारतूस 12 बीर

अभियुक्त रिंकू के कब्जे से-

- 01. मु0अ0सं0 358/22 धारा 379.411 भादवि से संबंधित 5000/- रुपए
- 02. मु0अ0सं0 278/22 धारा 457.380.411 भादवि से संबंधित 1000/- रुपए
- 03. 150 गोली अल्प्रासेफ 0.5 एमजी
- 04. एक अदद तमंचा व कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार कर्ता टीम-

- 01.उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार मय टीम।
- 02.उ0नि0 रजनीश द्विवेदी मय टीम।

दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने दहेज हत्या के 02 वांछित अभियुक्तों-01. रोज अली, 02. वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है उक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादी की लड़की को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए जान से मार दिया गया था। अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

01. रोज अली पुत्र हासिम खा नि0 ग्राम नरहरिया कल्लू पुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोंडा। 02. वसीम पुत्र रोज अली नि0 ग्राम नरहरिया कल्लू पुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-246/22, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 चंद्र भूषण पाण्डेय मय टीम

सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, 01अदद अवैध तमंचा कारतुस बरामद-

कल दिनांक 10.09.2022 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा अवैध असलहें के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज को त्विरत कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त निर्मल कुमार सिंह उर्फ दीपू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 303 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना करनैलगंज में आर्म्स ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. निर्मल कुमार सिंह उर्फ दीपू पुत्र फौजदार सिंह नि0 ग्राम फतेहपुर कोटहना थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-449/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 303 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ0नि अजय सिंह मय टीम।